



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 16 राँची, बुधवार

7 मई, 2025 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 416-436 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए, बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 —भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9 —विज्ञापन ---
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक — ...
	पूरक "अ" — ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

29 अप्रैल, 2025

संचिका सं०-13/नि०काजी-05/2024-44/नि०--काजी अधिनियम 1880 संख्या-12 की कंडिका-2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से मोहम्मद नसीरुद्दीन, पिता-स्व० मो० कुरबान, सत्तार कॉलोनी, बरियातु, था०-बरियातु, रांची को राँची जिलान्तर्गत भारतीय मुस्लिम समुदाय के बीच विवाह अनुष्ठानित करने तथा प्रमाण-पत्र देने हेतु काजी की अनुज्ञप्ति देते हैं एवं उन्हें विवाह निबंधक घोषित करते हैं ।

नोट:- काजी अधिनियम 1880 की धारा-2 के अन्तर्गत वर्णित कारणों के आधार पर सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शहाब सिद्दीकी,

संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

29 अप्रैल, 2025

संचिका सं०-13/नि०काजी-05/2023-45/नि०--काजी अधिनियम 1880 संख्या-12 की कंडिका-2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से मो० नसीम, पिता-मो० शमीम, असनाबाद, पो०-करमा, थाना-तिलैया, झुमरी तिलैया, जिला-कोडरमा, झारखण्ड-825409 को कोडरमा जिलान्तर्गत भारतीय मुस्लिम समुदाय के बीच विवाह अनुष्ठानित करने तथा प्रमाण-पत्र देने हेतु काजी की अनुज्ञप्ति देते हैं एवं उन्हें विवाह निबंधक घोषित करते हैं ।

नोट:-काजी अधिनियम 1880 की धारा-2 के अन्तर्गत वर्णित कारणों के आधार पर सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शहाब सिद्दीकी,

संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

29 अप्रैल, 2025

संचिका सं0-13/नि0काजी-06/2021-46/नि0--काजी अधिनियम 1880 संख्या-12 की कंडिका-2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से मौलाना अनसारुल्लाह कासमी, पिता-कारी अलीमुद्दीन कासमी, नियर मदिना मस्जिद, ग्वालाटोली रोड़, हिन्दपीड़ी, रांची, जी०पी०ओ०, रांची-834001 को राँची जिलान्तर्गत भारतीय मुस्लिम समुदाय के बीच विवाह अनुष्ठानित करने तथा प्रमाण-पत्र देने हेतु काजी की अनुज्ञप्ति देते हैं एवं उन्हें विवाह निबंधक घोषित करते हैं ।

नोट:-काजी अधिनियम 1880 की धारा-2 के अन्तर्गत वर्णित कारणों के आधार पर सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
शहाब सिद्दीकी,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

29 अप्रैल, 2025

संचिका सं0-13/नि0काजी-02/2023-47/नि0--काजी अधिनियम 1880 संख्या-12 की कंडिका-2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से श्री कफील अहमद, पिता-मो० शकिर्तु रहमान कासमी, ग्राम-बकसपुरा, पो०-बभनबै, था०-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग झारखण्ड को हजारीबाग जिलान्तर्गत भारतीय मुस्लिम समुदाय के बीच विवाह अनुष्ठानित करने तथा प्रमाण-पत्र देने हेतु काजी की अनुज्ञप्ति देते हैं एवं उन्हें विवाह निबंधक घोषित करते हैं ।

नोट:-काजी अधिनियम 1880 की धारा-2 के अन्तर्गत वर्णित कारणों के आधार पर सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शहाब सिद्दीकी,
संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

9 अप्रैल, 2025

संख्या-1/विविध-836/2015 कां०- 2105--श्री भोर सिंह यादव भा.प्र.से. (झा:2014), निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-13(1) के तहत कुल 56 दिनों के अर्द्ध वेतन अवकाश के बदले दिनांक-02.04.2025 से 29.04.2025 तक कुल 28 दिनों का रुपान्तरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

9 अप्रैल, 2025

संख्या -1/विविध-822/2010 खंड 2 कां०- 2107--श्री अजय कुमार सिंह भा०प्र०से० (झा:1995), अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को निजी व्यय पर **United Kingdom (UK)** की यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है तथा अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-19.05.2025 से 28.05.2025 तक कुल 10 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave) एवं दिनांक- 17.05 2025 से 18.05.2025 के साप्ताहिक अवकाश (Prefix) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।-----
अधिसूचना

3 अप्रैल, 2025

संख्या-1/विविध-837/2024 कां-2002--सुश्री प्रांजल ढांडा, भा०प्र०से० (झा:2022), अनुमण्डल पदाधिकारी, चास, बोकारो को-

1. निजी व्यय पर दिनांक-20.05.2025 से 01.06.2025 तक United Kingdom (विदेश) की यात्रा की अनुमति तथा
2. अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली 1995 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-20.05.2025 से 01.06.2025 तक कुल 13 दिनों का उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।-----
अधिसूचना

3 अप्रैल, 2025

संख्या-1/विविध-811/2022 कां- 1998--श्री प्रशान्त कुमार, भा०प्र०से० (झा:2004), सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची तथा अध्यक्ष, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 07.04.2025 से 02.05.2025 कुल 26 (छब्बीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना**4 अप्रैल, 2025**

सं०सं०-3/नि०सं०-09-21/2018 का० 2027--श्री अनिल कुमार, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-608/03), तत्कालीन अपर निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची का दिनांक-24.10.2007 से 12.11.2007 तक (कुल 20 दिन) का उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,**सरकार के संयुक्त सचिव ।**

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

25 मार्च, 2025

संख्या-13/आई०पी०एस0-118/2020-1339--डॉ० संजय ए० लाठकर, भा०पु०से०, अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-14.08.2022 से 03.09.2022 तक 21 (इक्कीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आलोक कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

27 मार्च, 2025

संख्या -12/एम₂-1013/2023-1353--श्री हीरालाल रवि, अपर पुलिस अधीक्षक, झा०स०पु० प्रशिक्षण केन्द्र, पदमा, हजारीबाग को पीएच० डी० (Ph.D.) उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप इनके नाम के आगे "डॉक्टर (डॉ०)" जोड़ने की अनुमति तथा तदनुसार वरीयता सूची में नाम संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार तिकी,

सरकार के अपर सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।-----
अधिसूचना

28 मार्च, 2025

संख्या-13/आई०पी०एस०-122/2024-1388--श्री प्रियदर्शी आलोक, भा०पु०से०, पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेल, झारखण्ड, राँची को विभागीय अधिसूचना सं०-6359, दिनांक-01.11.2024 द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11 एवं 20 के तहत दिनांक-22.12.2024 से 05.01.2025 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त अधिसूचना द्वारा स्वीकृत उपार्जित अवकाश के विरुद्ध श्री प्रियदर्शी आलोक, भा०पु०से०, द्वारा दिनांक-04.01.2025 से 05.01.2025 तक कुल 02 (दो) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश को रद्द किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आलोक कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

भाग 9-ख

निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ, इत्यादि।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RADHIKA DEVI, RUHI SHARMA (अन्य नाम MADHU BALA) की माता, शपथ पत्र सं० 209, दिनांक 6 मार्च, 2024 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री RUHI SHARMA के नाम से जानी जायेगी।

RUHI SHARMA एवं MADHU BALA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - CHOUR MUHALLA, CHATRA,
P.O. & P.S. - CHATRA,
DIST. - CHATRA,
PIN - 825401
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAKESH KUMAR MAHTO, VAISHNAVI RAJ (अन्य नाम JAGRITI) का पिता, शपथ पत्र सं० 744, दिनांक 4 फरवरी, 2025 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री VAISHNAVI RAJ के नाम से जानी जायेगी।

VAISHNAVI RAJ एवं JAGRITI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL- BHATUA TOLA-CHOUPHAND
P.O - BAIDHMARA,
P.S. - HARLA,
DIST. - BOKARO,
PIN - 827009
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAJEEV KUMAR, ANIMESH PRATAP SINGH (अन्य नाम PAIYANSHU KUMAR SINGH) की पिता, शपथ पत्र सं० 103, दिनांक 27 मार्च, 2025 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र ANIMESH PRATAP SINGH के नाम से जाना जायेगा ।

ANIMESH PRATAP SINGH एवं PAIYANSHU KUMAR SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - H.NO. - 2 B LEK GARDEN APARTMENT,
DIVYAYAN TALAB,
MORHABADI, RANCHI,
P.S. - BARIATU,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, LAXMI DEVI अन्य नाम LAKSHMI DEVI पति LATE RAM KISHUN RAM, शपथ पत्र सं० 738, दिनांक 24 फरवरी, 2025 के अनुसार LAXMI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

LAXMI DEVI एवं LAKSHMI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL- GOMIA MAHTO TOLA,
P.O. & P.S. - GOMIA,
DIST. - BOKARO,
PIN - 829111
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MOHANI DEVI अन्य नाम RUKNI DEV पति NIRMAL GOPE, शपथ पत्र सं० 867, दिनांक 18 मार्च, 2025 के अनुसार MOHANI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

MOHANI DEVI एवं RUKNI DEV दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL- NAWADIH CHAMPA NAGAR,
P.O. - TILRA
P.S. - ICHAK,
DIST. - HAZARIBAG,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PRIYANKA GUPTA अन्य नाम PRIYANKA GANDHI पति NARENDRA PRASAD, शपथ पत्र सं० 1748, दिनांक 19 मार्च, 2025 के अनुसार PRIYANKA GUPTA के नाम से जानी जाऊँगी।

PRIYANKA GUPTA एवं PRIYANKA GANDHI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - NEAR HANUMAN MANDIR, DANTU,
P.O. - DANTU
P.S. - KASMAR,
DIST. - BOKARO,
PIN - 827302
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, LAGANBAS DEVI अन्य नाम LAGANWART DEVI पति LATE MUNESHAWAR PRASAD SINGH शपथ पत्र सं० 1461, दिनांक 31 जनवरी, 2025 के अनुसार LAGANBAS DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

LAGANBAS DEVI एवं LAGANWART DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL - KAMGARPUR,
P.O. - KAMGARPUR,
P.S. - HUSSAINABAD,
DIST. - PALAMU,
PIN - 822116
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUNITA अन्य नाम DIYA SINGH पति LAL BAHADUR SHASTRI, पिता RAM SWARTH SINGH शपथ पत्र सं० 8286, दिनांक 26 मार्च, 2025 के अनुसार SUNITA के नाम से जानी जाऊँगी।

SUNITA एवं DIYA SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - QTR NO. - E7, DVC COLONY,
NEAR DVC DISPENSARY,
P.O. - HAZARIBAGH,
P.S. - SADAR,
DIST. - HAZARIBAGH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUCHITA DUNG DUNG अन्य नाम SUCHITA EKKA पति RANJIT ROSHAN EKKA शपथ पत्र सं० 01, दिनांक 13 जनवरी, 2025 के अनुसार SUCHITA DUNG DUNG के नाम से जानी जाऊँगी।

SUCHITA DUNG DUNG एवं SUCHITA EKKA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - SARNA TOLI, NOTREDAM SCHOOL ROAD,
P.S. - GUMLA,
P.O. - GUMLA,
DIST. - GUMLA,
PIN - 835207
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, AYUSH DEVRAJ SINGH अन्य नाम AYUSH DEEP SINGH पिता PRADEEP KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 543, दिनांक 18 मार्च, 2025 के अनुसार AYUSH DEVRAJ SINGH के नाम से जाना जाऊँगा।

AYUSH DEVRAJ SINGH एवं AYUSH DEEP SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - ASHOK NAGAR PARK ROAD NO. - 1, C/50,
VISHWAMENDRA, RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BALMUKUND MAHTO अन्य नाम BAL MUKUND MAHTO पिता Late SADHU CHARAN MAHTO, शपथ पत्र सं० 991, दिनांक 19 फ़रवरी, 2025 के अनुसार BALMUKUND MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा।

BALMUKUND MAHTO एवं BAL MUKUND MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - 122, NEECHE TOLA,
NEAR HANUMAN MANDIR,
AT HOHAD,
P.O. - SIKNI,
P.S. - RAJRAPPA,
DIST - RAMGARH
PIN - 829150
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ROUSHAN KUMAR अन्य नाम PREM RAJ पिता UPENDRA MEHTA, शपथ पत्र सं० 2404, दिनांक 19 मार्च, 2025 के अनुसार ROUSHAN KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा।

ROUSHAN KUMAR एवं PREM RAJ दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - DEORI KHURD,
P.O. - JAPLA CEMENT FACTORY,
P.S. - HUSSAINABAD,
DIST - PALAMU,
PIN - 822117
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MANAN KR NAGPAL अन्य नाम MANNAN SHIV NAGPAL पिता SRI KAMAL NAGPAL, शपथ पत्र सं० 901, दिनांक 10 मार्च, 2025 के अनुसार MANAN KR NAGPAL के नाम से जाना जाऊँगा।

MANAN KR NAGPAL एवं MANNAN SHIV NAGPAL दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 403, BISHESHWAR APARTMENT,
BAXI COMPOUND,
BARIATU, RANCHI,
PIN - 834009
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SIDHARTH SINGH अन्य नाम CHINTU SINGH पिता RAJESHWAR SINGH, शपथ पत्र सं० 830, दिनांक 20 मार्च, 2025 के अनुसार SIDHARTH SINGH के नाम से जाना जाऊँगा।

SIDHARTH SINGH एवं CHINTU SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - BANAU,
P.O. - BASARIYA,
P.S. - CHOUPARAN,
DIST - HAZARIBAGH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SALIM LUGUN अन्य नाम SATISH LUGUN पिता SRI SHANKAR LUGUN, शपथ पत्र सं० 381, दिनांक 7 मार्च, 2025 के अनुसार SALIM LUGUN के नाम से जाना जाऊँगा।

SALIM LUGUN एवं SATISH LUGUN दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - JALASAR,
P.O. - PODONGER,
P.S. - BANDGAON,
DIST - WEST SINGHBHUM,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KRISHNA YADAV अन्य नाम KISHAN KUMAR पिता SRI GANESH YADAV, शपथ पत्र सं० 183, दिनांक 6 फ़रवरी, 2025 के अनुसार KRISHNA YADAV के नाम से जाना जाऊँगा।

KRISHNA YADAV एवं KISHAN KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - KONCHI,
P.O. - LAWALONG,
P.S. - LAWALONG,
DIST - CHATRA,
PIN - 825103
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SAFIULLAH ANSARI अन्य नाम SRI SAFIULLAH ANSARI पिता SK NASRUDDIN, शपथ पत्र सं० 100, दिनांक 3 मार्च, 2025 के अनुसार SAFIULLAH ANSARI के नाम से जाना जाऊँगा।

SAFIULLAH ANSARI एवं SRI SAFIULLAH ANSARI दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - KANKE PATRA TOLI,
P.O. & P.S. - KANKE,
DIST - RANCHI,
PIN - 834006
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BIRAS DEVI अन्य नाम FIRMANI DEVI पति SUNIL ORAON, शपथ पत्र सं० 135, दिनांक 31 अगस्त, 2024 के अनुसार BIRAS DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

BIRAS DEVI एवं FIRMANI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - KOHIPATH DIPA TOLI,
P.O. & P.S. - GHAGHRA,
DIST. - GUMLA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MAHENDRA MAHTO, APPU KUMAR (अन्य नाम DIPU KUMAR) की पिता, शपथ पत्र सं० 164, दिनांक 17 फ़रवरी, 2025 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र APPU KUMAR के नाम से जाना जायेगा ।

APPU KUMAR एवं DIPU KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - NAWADIH,
P.O. - BARGAON,
P.S. - MANDU,
DIST - RAMGARH,
PIN - 829134
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PANKAJ KUMAR, SHUBHRA RAI (अन्य नाम KUMARI SHUBHRA) का पिता, शपथ पत्र सं० 1017, दिनांक 27 फ़रवरी, 2025 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SHUBHRA RAI के नाम से जानी जायेगी ।

SHUBHRA RAI एवं KUMARI SHUBHRA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - H.NO. - 19, GRAMAYATAN,
AROGYA BHAWAN - 1,
BARIATU ROAD, BARIATU,
RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, LALSAI ORAON, TRISHANT ORAON (अन्य नाम TRISHANT KUMAR ORAON) का पिता, शपथ पत्र सं० 69, दिनांक 8 जनवरी, 2025 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र TRISHANT ORAON के नाम से जाना जायेगा।

TRISHANT ORAON एवं TRISHANT KUMAR ORAON दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. & P.O. - ICHAPIRI,
P.S. - PITHORIA,
P.O. - KANKE,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, AMIT KUMAR AGRAWAL, KAVYA AGARWAL (अन्य नाम AASHI AGRAWAL) का पिता, शपथ पत्र सं० 10271, दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री KAVYA AGARWAL के नाम से जानी जायेगी।

KAVYA AGARWAL एवं AASHI AGRAWAL दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - BARKAGAON ROAD, SARDAR CHOWK,
P.S. - SADAR,
DIST. - HAZARIBAG,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, CHHATU MAHTO अन्य नाम DHANESHWAR MAHTO पिता Late NATHU MAHTO, शपथ पत्र सं० 05, दिनांक 6 दिसम्बर, 2024 के अनुसार CHHATU MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा।

CHHATU MAHTO एवं DHANESHWAR MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - PANI TANKI
P.O. - GOSA, MURRAM KALA,
P.S. - RAMGARH,
DIST - RAMGARH,
PIN - 829122
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAJEEV अन्य नाम RAKESH RANJAN पिता UMESH CHANDRA DUTTA, शपथ पत्र सं० 130, दिनांक 5 अप्रैल, 2025 के अनुसार RAJEEV के नाम से जाना जाऊँगा।

RAJEEV एवं RAKESH RANJAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - NIWARANPUR,
P.O. - DORANDA,
P.S. - DORANDA,
DIST - RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KAVYA MISHRA अन्य नाम KAVYA पति VIVEK KUMAR MISHRA, शपथ पत्र सं० 47, दिनांक 24 मार्च, 2025 के अनुसार KAVYA MISHRA के नाम से जानी जाऊँगी।

KAVYA MISHRA एवं KAVYA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - 12/28 OFFICERS FLAT
BESIDE NEPAL HOUSE SECRETARIATE,
P.O. & P.S. - DORANDA,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND
